कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0

संख्या : C-77/मु0अ0मध्य/स्थाई–आदेश   दिनांक 05 अगस्त, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 की विभिन्न नहर प्रणालियों की मुख्य नहरों एवं शाखाओं का उनके महत्व के अनुरुप अनुरक्षण परम आवश्यक है। मुख्य नहरों की जलवहन क्षमता कम हो जाने से संपूर्ण वितरण प्रणाली प्रभावित होती है। अतः मुख्य नहरों/शाखा नहरों कीयंरचनाओं के रखरखाव व जलवहन क्षमता बनाये रखने के दृष्टिगत समुचित अनुरक्षण करने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था निर्धारित की जाती है–

1. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रत्येक फसली में न्यूनतम एक बार अपने नियंत्रणाधीन मुख्य/योजक/पोषक नहर (शीर्ष निस्सरण 4000 क्यूसेक से अधिक) एवं उसकी समस्त संरचनाओं का विस्तृत रुप में विशेष निरीक्षण किया जायेगा। इस विशेष निरीक्षणोपरान्त मुख्य नहर की जलवहन क्षमता, समस्त पक्की संरचनाओं की मजबूती व कियाशीलता एवं मुख्य नहर के किये जा रहे अनुरक्षण में पायी गई कमियों का समाधान करने की कार्यवाई एवं व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा स्वयं उपस्थित रहकर मुख्य नहर के निर्धारित स्थल पर A.D.C.P. (Acoustic Doppler Current Profiler) के माध्यम से शीर्ष–डिस्चार्ज मापन कराया जायेगा तथा इसका पठनांक निरीक्षण टिप्पणी में अनिवार्य रुप से उल्लिखित किया जायेगा।
2. क्षेत्रीय अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रत्येक फसली में न्यूनतम एक बार अपने नियंत्रणाधीन मुख्य नहर एवं शाखा नहर (शीर्ष निस्सरण 1000 से 4000 क्यूसेक तक) एवं उसकी संरचनाओं का विस्तृत रुप में विशेष निरीक्षण किया जायेगा। इस विशेष निरीक्षणोपरान्त मुख्य नहर व शाखा नहर की जलवहन क्षमता, समस्त पक्की संरचनाओं की मजबूती व कियाशीलता एवं मुख्य व शाखा नहर के किये जा रहे अनुरक्षण में पायी गई कमियों का समाधान करने की कार्यवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त नहरों के निर्धारित स्थल पर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वयं की उपस्थिति में A.D.C.P. (Acoustic Doppler Current Profiler) के माध्यम से शीर्ष–डिस्चार्ज मापन कराया जायेगा तथा इसका पठनांक निरीक्षण आख्या में अनिवार्य रुप से उल्लिखित किया जायेगा।
3. क्षेत्रीय मुख्य/अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा उपरोक्त विशेष निरीक्षण के आधार पर नहरों एवं उनकी संरचनाओं को पूर्णतः कियाशील स्थिति में रखने हेतु आवश्यक कार्यवाई के विस्तृत निर्देश जारी किये जायेगें तथा इसके लिये अनुरक्षण/मरम्मत की आवश्यकता होने पर बजट व्यवस्था की आवश्यक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जायेगी।
4. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं एवं सहायक अभियन्ताओं द्वारा प्रस्तर–1 व 2 में विनिर्दिष्ट विशेष निरीक्षण हेतु समस्त व्यवस्था यथा कैमरा, मापन यंत्र–संयंत्र, मानव

संसाधन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी तथा वे निरीक्षणोपरांत निर्गत निर्देशों के अनुपालन हेतु उत्तरदायी होंगे।

5. इसी प्रकार अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रत्येक फसली में अपने खण्ड की अन्य नहरों (शीर्ष निस्सरण 100 से 1000 क्यूसेक तक) तथा सहायक अभियन्ता द्वारा अपने उपखण्ड की सभी नहरों का उक्तानुसार विशेष निरीक्षण किया जायेगा लेकिन डिस्चार्ज मापन में A.D.C.P. की बाध्यता नहीं होगी। अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ताओं द्वारा किये डिस्चार्ज मापन के प्रत्येक फसली के संकलित परिणाम से उच्च स्तर को अवगत कराया जायेगा।

6 उक्त विशेष निरीक्षणों के अतिरिक्त आई0एम0ओ0 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नहरों के निरीक्षण यथावत किये जाते रहेगें।

ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

वी0के0 निरंजन
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

संख्या : C-77(1)/प्र0अभि0/मु0अ0मध्य/तद्दिनांक 05.08.2020

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ।
2. प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–2, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अपने अधीनस्थ समस्त मण्डलों/खण्डों को इस कार्यालय ज्ञाप की प्रतिलिपि अनुपालनार्थ अवश्य उपलब्ध करा दें।

05/8/2020
(डी0के0 मिश्रा)
मुख्य अभियन्ता (मध्य)